

~~सुभाष चंद्र बोस~~

सुभाष चंद्र बोस

2/1/2023

96/2023

3/5/24

पत्रावली फाइल में अभिवृत्त प्रार्थना पत्रों के
अभिवृत्त प्रार्थना के बंधन प्रत्येक सुभाष
चंद्र बोस के अंतर्गत 15/5/2024 को प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौभाग्य)

16/5/2024

पत्रावली फाइल में अभिवृत्त प्रार्थना पत्रों के
अभिवृत्त प्रार्थना के बंधन प्रत्येक सुभाष
चंद्र बोस के अंतर्गत प्रत्येक सुभाष
विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक सुभाष के अंतर्गत
जाकर सुभाष प्रत्येक सुभाष के अंतर्गत
प्रत्येक सुभाष के अंतर्गत प्रत्येक सुभाष
के अंतर्गत प्रत्येक सुभाष के अंतर्गत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौभाग्य)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

श्रीलालासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 96/2023
निर्णय दिनांक : 16.05.2024

1. कैलाश उर्फ लालाराम पुत्र बिरदा जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र चन्दा जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

2. जगदीश दत्तक पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

3. सोला पुत्र बिरदा जाति कुम्हार प्रजापति निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

4. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी को कैलाश उर्फ लालाराम के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी के पूर्वजों की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 2292 किस्म बारानी तृतीय, 2293 किस्म बारानी तृतीय, 2294 किस्म गै०मु० झेरा, 2295 किस्म बारानी तृतीय कुल किता चार कुल रकबा 0.4200 है० ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि में हिस्से अनुसार काबिज चला आ रहा है। जिसका अन्य सह खातेदार लगायत 3 से कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के दो नाम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र बिरदा जाति कुम्हार प्रजापति दर्ज है और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम लालाराम प्रजापति दर्ज है। प्रार्थी को घर में, गांव में व अन्य जगह कैलाश के नाम से भी जाना जाता है और लालाराम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 2292, 2293, 2294, 2295 में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कैलाशके आगे उर्फ अंकित किया जाकर कैलाश उर्फ लालाराम दर्ज किया जावे क्योंकि कैलाश व लालाराम एक ही व्यक्ति है जिसकी जानकारी सम्पूर्ण ग्राम पंचायत को है और कैलाश उर्फ लालाराम बिरदा का जायन्दा पुत्र है। जिस बाबत्

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्राम पंचायत गोनेर के सरपंच के द्वारा भी दिनांक 14.8.2023 को अपनी मोहर व हस्ताक्षरों से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि कैलाश को कैलाश व लालाराम दोनों नामों से जाना जाता है। कैलाश के नाम के आगे लालाराम अंकित किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी बल्कि कैलाश के नाम के आगे लालाराम अंकित किये जाने पर भविष्य में होने वाले विवाद मुकदमों का निपटारा इसी स्टेज पर पूर्ण हो जायेगा। जिससे अन्य सहखातेदारों व कैलाश के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा बल्कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहखातेदार पूर्व की भांति भविष्य में भी बिना किसी विवाद के भूमि का उपयोग उपभोग करते रहेंगे। 3. यह कि अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का सगा भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के परिवार के ही लोग है जो सह खातेदार है। प्रार्थी के नाम कैलाश के नाम स्थान पर कैलाश उर्फ लालाराम अंकित किये जाने पर किसी भी सह खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी क्योंकि कैलाश व लालाराम दोनों एक ही नाम का व्यक्ति है जो बिरदा कुम्हार प्रजापति का पुत्र है। प्रार्थी दिनांक 31.8.2023 को हल्का पटवारी गोनेर के यहाँ जाकर सम्पर्क किया और कहा कि मैं ही कैलाश हूँ और मैं ही लालाराम हूँ, कैलाश व लालाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। इसलिये कैलाश के नाम के स्थान पर कैलाश उर्फ लालाराम अंकित किये जाने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी गोनेर द्वारा प्रार्थी को हिदायत दी गई कि न्यायालय से आदेश लाने पर ही तहसीलदार जी के निर्देश से ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कैलाश उर्फ लालाराम अंकित किया जा सकता है। इसके पश्चात् प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार नाम अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा भी प्रार्थी को अवगत कराया गया कि न्यायालय से आदेश लाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकन किया जा सकेगा। इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सह खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 4 भू स्वामी है इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कैलाश के नाम के स्थान पर कैलाश उर्फ लालाराम नाम अंकित किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 को निर्देश जारी करने की कृपा करे।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी

किये गये।
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम गोनेर जिला जयपुर में
स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 2292 किस्म बारानी तृतीय ,2293किस्म बारानी
तृतीय, 2294 किस्म गै0मु0 झेरा, 2295 किस्म बारानी तृतीय कुल किता चार कुल
रकबा 0.4200 है० हिस्सा 1/6 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कैलाश के नाम के
स्थान पर कैलाश उर्फ लालाराम नाम अंकित किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 को
निर्देश जारी करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न
दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम गोनेर जिला जयपुर में
स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बरान् 2292 किस्म बारानी तृतीय ,2293किस्म बारानी
तृतीय, 2294 किस्म गै0मु0 झेरा, 2295 किस्म बारानी तृतीय कुल किता चार कुल
रकबा 0.4200 है० हिस्सा 1/6 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम
कैलाश स्थान पर कैलाश उर्फ लालाराम नाम अंकित करने के आदेश दिये जाते
है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर